

डाक व्यवस्था की पूर्ण अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर दिनांक 11



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 जून 2001 - अंश 14, शक 1923

• योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2001

अभिमुखना

क्रमांक 219/2001/योआसा/23. - जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मुख्य रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ के रूप में नियुक्त करता है.

(2) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उप-संचालक (जीवनांक), आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय, छत्तीसगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उप मुख्य रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ के रूप में नियुक्त करता है.

(3) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उनकी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार जिलों के भीतर जिला रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करता है.

(4) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गयी संख्या के अंतर्गत (2) या निर्णित अधिकारियों को, सामान्य कानून (3) की धारा 4 के अन्तर्गत

प्रविष्टियों में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्रों के लिये रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
----------------	----------------	------------------------

ग्रामीण क्षेत्र

1. पुलिस थाना के थाना अधिकारी उनके पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर.

नगरीय क्षेत्र

2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी उनकी नगरपालिका/नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर.
3. नगर पालिका निगम का आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी या निगम द्वारा निर्दिष्ट अन्य अधिकारी. नगर पालिका निगम की सीमाओं के भीतर.

Raipur, the 2nd May 2001

NOTIFICATION

No. 219/2(XI)/P.E.S./23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of Act, 1969), the State Government hereby appoints the Director of Economics and Statistics, Chhattisgarh as the Chief Registrar, Chhattisgarh for the purposes of the said Act.

- (2) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of Act, 1969), the State Government hereby appoints the Dy. Director (Vital Statistics) of the Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh to be the Deputy Chief Registrar, Chhattisgarh for the purpose of the said Act.
- (3) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of Act, 1969) the State Government hereby appoints all District Statistical Officers to be the District Registrars within their respective revenue districts for the purposes of the said Act.
- (4) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of Act, 1969) the State Government hereby appoints descriptive officers shows in column 2 of the table below to the Registrar for local areas specified in the corresponding entries in column (3) here of :—

TABLE

No. (1)	Officers (2)	Local areas (3)
Rural Areas		
1.	Station Officers Police Stations	Within the limits of their Police Stations
Urban Areas		
2.	Chief Municipal Officers or other Officers nominated by the Municipal Council/Nagar Panchayat.	Within their Municipal limits
3.	Commissioner/Health Officer of Municipal Corporation or any other Officer nominated by corporation.	Within the limits of Municipal Corporation

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा भण्डारानुसार

एस. पी. त्रिवेदी, अपर सचिव